



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.01.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना पैलानी पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर मादक पदार्थ की खरीद/फरोस्त करने वाले एक अन्य गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को किया गया गिरफ्तार।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 19.01.2026 को थाना पैलानी पुलिस द्वारा गिरोह बनाकर मादक पदार्थ की खरीद/फरोस्त करने वाले गैंगस्टर एक्ट के एक अन्य वांछित अभियुक्त (गैंग सदस्य) को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थ की खरीद/फरोस्त करने वाले गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रूप से मादक पदार्थों का कारोबार कर खरीद/फरोस्त की घटनाओं को अंजाम देता था जिसके सम्बन्ध में थाना पैलानी गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था और वांछित चल रहा था। थाना पैलानी पुलिस द्वारा मुख्यिर की सूचना पर अभियुक्त को पैलानी पपरेन्डा मार्ग पर कालेश्वर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- संजय उर्फ तनू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम खप्टिहाकला थाना पैलानी जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग अभियुक्त संजय उर्फ तनू उपर्युक्त-

- मु0अं0सं0 197/22 धारा 8/20/25 एनडीपीएस एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
- मु0अं0सं0 272/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
- मु0अं0सं0 75/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।
- मु0अं0सं0 316/25 धारा 115(2)/118(1)/351(2)/352 बीएनएस थाना पैलानी जनपद बांदा।
- मु0अं0सं0 1/26 धारा 2(ख) 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पैलानी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- श्री राजेश कुमार वर्मा प्र0नि0 थाना पैलानी
- उ0नि0 हरिशरण सिंह
- उ0नि0 लल्लन प्रसाद
- हे0कां0 अनिल राजपूत
- कां0 धीरेन्द्र सिंह